पत्रांक– 06/भ०नि० 07–05/2026...133...

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : 16/10/2026

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत मुंगेर जिला के तारापुर विधान सभा क्षेत्र में अवस्थित मध्य विद्यालय, लखनपुर हिन्दी एवं मध्य विद्यालय, महमदपुर के चहारदीवारी निर्माण तथा उर्दू मध्य विद्यालय लखनपुर एवं बुनियादी विद्यालय, खैरा, खड़गपुर, मुंगेर के भवन निर्माण, चहारदीवारी निर्माण, विद्युतीकरण, शौचालय, किचेन शेड आदि के निर्माण हेतु कुल 4,19,76,000/– (चार करोड़ उन्नीस लाख छिहत्तर हजार) रूपये की व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित"

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर विधान सभा क्षेत्र में अवस्थित मध्य विद्यालय, लखनपुर हिन्दी एवं मध्य विद्यालय, महमदपुर के चहारदीवारी निर्माण तथा उर्दू मध्य विद्यालय लखनपुर एवं बुनियादी विद्यालय, खैरा, खड़गपुर, मुंगेर के भवन निर्माण, चहारदीवारी निर्माण, विद्युतीकरण, शौचालय, किचेन शेड आदि के निर्माण हेतु कुल 4,19,76,000/– (चार करोड़ उन्नीस लाख छिहत्तर हजार) रूपये की व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त प्रारंभिक विद्यालयों का बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया था। जिसपर स्कीम स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त विद्यालयों का विवरणी निम्नवत् है:–

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	कार्य	स्वीकृत राशि (रूपये में)	अभ्युक्ति
1	मध्य विद्यालय, महमदपुर तारापुर, मुंगेर	चहारदीवारी निर्माण कार्य	1,37,12,000/--	स्कीम स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्वीकृत।
2	मध्य विद्यालय, लखनपुर हिन्दी, तारापुर, मुंगेर	चहारदीवारी निर्माण कार्य	20,33,000/–	

3	Urdu M.S. Lakhanpur, Tarapur, Munger	05 अतिरिक्त वर्गकक्ष, शौचालय एवं किचेन शेड आदि।	82,79,000/–	स्कीम स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्वीकृत।
4	Basic School Khaira, Kharagpur, Munger	08 अतिरिक्त वर्गकक्ष, चहारदीवारी, विद्युतीकरण आदि।	1,79,52,000/–	
कुल		**4,19,76,000/– (चार करोड़ उन्नीस लाख छिहत्तर हजार रूपये)**		

3. स्वीकृत राशि 4,19,76,000/– (चार करोड़ उन्नीस लाख छिहत्तर हजार) रूपये की व्यय का विकलन राज्य स्कीम अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों के निर्माण कार्य योजना की राशि का विकलन मांग संख्या–21, मुख्यशीर्ष– 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–सामान्य शिक्षा, लघुशीर्ष– 201– प्रारंभिक शिक्षा, उप शीर्ष–0105–प्रारंभिक विद्यालय भवन, विपत्र कोड– 21–4202012010105 के विषय शीर्ष 0105–53–01–मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में उक्त योजना हेतु शीर्ष में मूल रूप में 2,10,00,00,000/– (दो अरब दस करोड़ रूपये) का उद्व्यय एवं उपबंध निर्धारित है।

4. उक्त स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा बी०टी०सी० फॉर्म 46 पर की जायेगी। निकासी की गई राशि बिहार राज्य आधारभूत संरचना निगम लि० पटना के PL Account No.–PBBPLA005, Ledger Name – State P&L Fpr Defferent School, Ledger Id– 3851 में राशि का अन्तरण, अन्तरण–जमा के द्वारा किया जाएगा।

5. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के निर्माण का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी स्थिति में न हो।

6. योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

7. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा स्वीकृत एवं व्यय की गयी राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि प्राप्ति के 18 माह के अन्दर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,

बिहार, पटना के द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय ज्ञापांक संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित प्रावधानों तथा विभागीय आदेश एवं समय–समय पर वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्र के आलोक में की जायेगी।

10. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प सं० 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका– 2 (क)(i) में निहित प्रावधान के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11. प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा दिनांक 08.09.2026 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

12. प्रस्ताव पर स्कीम स्क्रीनिंग समिति द्वारा दिनांक 23.09.2026 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06/भ०नि० 07–05/2026 133 पटना, दिनांक :– 16/10/2026

प्रतिलिपि :–सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–21 (दो अतिरिक्त प्रति)/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा०शि० एवं समग्र शिक्षा अभियान), मुंगेर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), मुंगेर/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति/AC/DC कोषांग, प्राथमिक शिक्षा/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार एवं सभी संबंधितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.10.26
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।